

दिनांक 30/1/24 को पेश हो।

30/1/2024 पत्रावली पेश हुई। जर्ची क वकील जर्ची अनुष
वार? आवाज दिलवामी जाने के उपरान्त भी
जर्ची की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः
जर्ची का जर्चण फज बाबत अवमानना अफम
हाजरी अफम पैरवी मे खरीज किया जाता है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बरसे कम
होकर रफ्तार दाखिल हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
मीमकाथान (राज.)